



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
 Kendriya Vidyalaya Sangathan
 18 संस्थानिक क्षेत्र
 18 Institutional Area,
 शहीद जीत सिंह मार्ग
 Shaheed Jit Singh Marg
 नई दिल्ली - 110016
 New Delhi - 110016
 Tele.: 011-26858570/26514179 (Fax)
 Website: www.kvsangathan.in

एफ.11056/1/PR/Astt./2012/के.वि.सं.(मु.)/स्था.3

दिनांक: 26.06.2013

ज्ञापन

विषय: सहायक के पद पद पदोन्नति ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों को सहायक के पद पर पे बेंड/वेतनमान रु.9300.34800/- ग्रेड पे रु.4200/- में पदोन्नति को अनुमोदित कर दिया है और कालम संख्या 6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात किया जाता है। वे अपनी स्वीकृति विना किसी शर्त के दिनांक **04.07.2013** तक अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें और सहायक के रूप में तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त होकर एवं नियमानुसार कार्यभार ग्रहण समय का उपयोग करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण कर लें । यदि वे दिनांक **04.07.2013** तक कार्यमुक्त होने में असफल होते हैं तो पदोन्नति का यह प्रस्ताव स्वतः ही वापिस लिया माना जाएगा और वे दिनांक 4.9.2013 के केविसं(मुख्यालय) के पत्र संख्या 6-6/1999/केविसं (मु.)/आरपीएस के अनुसार दिनांक **05.07.2013** से प्रभावी अगले एक वर्ष तक पदोन्नति के लिए और अन्य तदवर्ती लाभ व से वरिष्ठता इत्यादि से विवर्जित हो जाएंगे ।

Reserve Panel

S.No.	Name	Category	Date of birth	Present KV/ KVS	Posted to KV
1.	Sh. P. K. Das	Gen	05.01.1960	BSF Rani Nagar	OF, Dum Dum
2.	Sh. J.P. Batra	Gen	05.12.1966	Uttarkashi	Pithoragarh
3.	Sh. Manoj Parnerkar	Gen	23.09.1964	ZIET Mumbai	IIT Powai, Mumbai

2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत की गई पदोन्नति इस शर्त पर होगी कि वे अनु. जाति/अनु.जनजाति (जैसा भी मामला हो) से वर्तमान में भी संबंधित हैं, इसके समर्थन में राज्य सरकार के सहायक प्राधिकारी से वर्तमान प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।


3. कर्मचारियों को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपना वेतन पदोन्नति की तारीख से अथवा अपने पदोन्नति पूर्व के पद पर वेतनवृद्धि की तारीख से जैसे 1 जुलाई निर्धारित करवाएँ । यह विकल्प पदोन्नति के एक महीने के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए ।

4. कर्मचारी को बिमारी/ प्रसूति के कारणों को छोड़कर अन्य किसी कारण से कार्यभार ग्रहण करी के विस्तार की अनुमति नहीं होगी तथा बिमारी / प्रसूति के मामले में चीफ मेडिकल आफिसर / मेडिकल सुप्रीटेंडेंट/ सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों /

Cont... on page/2


परियोजनाओं जिससे विद्यालय संबद्ध है के अस्पतालों के चीफ मेडिकल ऑफिसर अथवा सेना या कमान अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी विधिवत चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यह अनुरोध, यदि कोई हो तो दिनांक **04.07.2013** तक उचित माध्यम द्वारा केविस (मु.) में प्राप्त हो जाना चाहिए।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर तैनाती के स्थान में परिवर्तन या पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय में विस्तार के किसी भी अभ्यावेदन (उपर्युक्त पैरा 4 के अन्तर्गत प्रावधान को छोड़कर) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।


(राकेश शर्मा)
उपायुक्त (प्रशा.)

वितरण :

1. संबंधित कर्मचारी का इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे अपनी स्वीकृति अनिवार्यतः दिनांक **04.07.2013** तक भिजवा दें। पदोन्नति की स्वीकृति की स्थिति में उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक **04.07.2013** तक कार्यमुक्त हो जाए।
2. संबंधित के.वि. के प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यदि अधिकारी पदोन्नति पर जाने का इच्छुक है तो उन्हें अपनी शर्तमुक्त सहमति/ स्वीकृति प्राचार्य के माध्यम से केविस (मु.) को दिनांक **04.07.2013** तक भिजवानी होगी। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो यह माना लिया जाएगा कि उन्हें अपनी पदोन्नति में रूचि नहीं है और उनका पदोन्नति का आदेश बिना किसी अन्य नोटिस के स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। यदि उन्होंने पदोन्नति का स्वीकृति किया तो उन्हें अनिवार्य रूप से दिनांक **04.07.2013** तक या उससे पहले कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें।
3. कर्मचारी की तैनाती के उपरांत के केवि के प्राचार्य को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की जानकारी से तुरंत अवगत करायें।
4. उपायुक्त, केविस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे उपर्युक्त कम.सं. 2 में दी गई समय-सारणी को सुनिश्चित करवाते हुए कर्मचारी को कार्यमुक्त करें।
5. निदेशक, के. वि. सं. ZIET मुम्बई।
6. वित्त अधिकारी, केविस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचनार्थ।
7. अनुभाग अधिकारी, मर्ती एवं पदोन्नति, केविस (मु.)
8. गार्ड फाइल।


(राकेश शर्मा)
उपायुक्त (प्रशा.)